रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 2018/वैशाख 6, 1940
No. 150] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 2018/VISAKHA 6, 1940

## सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2018

**सं. एम-12014/10/2018-सीएपीसीएसओ**.—केंद्र तथा राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियां विभिन्न अल्पकालिक संकेतकों को पूर्व-निर्दिष्ट आवधिकता वाले सूचकांकों के रूप में संकलित तथा प्रसारित करती रही हैं । इनमें से अधिकतर सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों का प्रयोग नीति-निर्माण के लिए, अर्थव्यवस्था तथा समाज के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए किया जाता है । ये प्राइवेट सेक्टर में नीति-निर्माताओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं ।

2. यह मंत्रालय, सांख्यिकीय मामलों पर नोडल मंत्रालय होने के नाते, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पादित तथा प्रसारित किए जा रहे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा विश्वसनीयता के मुद्दों पर कुछ समय से विचार करता रहा है । नीति-निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, व्यवसायियों तथा आम जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पद्धति को सुप्रवाही बनाने तथा और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए व्यापक दिशा-निर्देश सरकारी एजेंसियों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है ।

## अनुसूची

## सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश

### प्रस्तावना

1. अल्पकालिक संकेतकों, जिन्हें प्राय: अर्थव्यवस्था तथा समाज के अहम क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रवृत्तियों को मापने वाले सूचकांकों के रूप में जारी किया जाता है, में ऐसी सांख्यिकीय श्रृंखला रहती है जिनको समय-समय पर

(दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर) सामान्यतया संकलित तथा प्रसारित किया जाता है । वे संगत सेक्टर के हाल के निष्पादन के विश्लेषण में मदद करते हैं और भावी निष्पादन के पूर्वानुमानों की तैयारी के लिए आधार का काम करते हैं ।

2. भारत में, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर तथा महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के लिए सूचकांकों का होना वांछनीय है । सूचकांकों से अपेक्षा रहती है कि वे न केवल समय-समय पर बल्कि एक निश्चित समय पर विभिन्न भौगोलिक स्थानों/महत्वपूर्ण व्यावसायिक वर्गों के लिए भी तुलना उपलब्ध कराएं । अतः स्थानिक सूचकांकों का होना भी महत्वपूर्ण है ।

3. नीति-निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्तियों के बदलाव बिंदुओं का जल्दी पता लगाने की जरूरत होती है । आंकड़ा संग्रहण पद्धतियों को अल्पकालिक संकेतकों के प्रसार को आसान बनाने के अनुकूल करने की जरूरत होती है । इसलिए, मुख्य लक्ष्य पर्याप्त गुणवत्ता के परिणाम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का होता है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्रयोक्ताओं तथा आम जनता की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अल्प-कालिक संकेतकों के संबंध में कुछ अच्छी पद्धतियों को स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है । अगले पैराग्राफों में दिए गए दिशा-निर्देशों का यही उद्देश्य है ।

**आधार वर्ष का चयन**

4. किसी भी सूचकांक के लिए आधार वर्ष का चयन ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए किया जाए जिनका सूचकांक प्रतिनिधित्व करते हैं । आधार वर्ष में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के साथ ही रीतिगत परिवर्तन, जैसे अधिमान आरेख, सूचकांकों में शामिल मदों के बास्केट आदि में परिवर्तन होते हैं । अत: यह वांछनीय है कि किसी भी सूचकांक के लिए आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष हो ।

5. आधार वर्ष को पहले से विनिर्दिष्ट किया जाना लाभप्रद होता है क्योंकि संबंधित विभाग सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी के कार्यकलापों की योजना तैयार कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई भी सर्वेक्षण आरंभ करने के लिए संसाधनों हेतु सरकारी स्वीकृति प्राप्त कर सकेगा । साथ ही चयनित आधार वर्ष के लिए संगत आंकड़े संग्रहित किए जा सकेंगे जिससे सूचकांकों के लिए मद बास्केट का चयन करने में तथा आंकड़ों को किसी चूक के बिना संग्रहित करने में मदद मिलेगी । इसलिए, संशोधन के लिए आधार वर्ष का पहले से (अर्थात चयनित आधार वर्ष से कम से कम 2 वर्ष पहले) निश्चय तथा घोषणा की जाए। यदि पहले से इस तरह विनिर्दिष्ट आधार वर्ष बाद में गैर-सामान्य वर्ष निकलता है तो उसके बाद वाले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लेना आसान होगा ।

6. सूचकांकों के संकलन/संशोधन के लिए आधार वर्ष के निर्णय में विलंब होने से आधार वर्ष के लिए आंकड़ों के संग्रहण में समस्याएं पैदा होती हैं । किसी आधार वर्ष के लिए उसके दो-तीन वर्षों के बाद आंकड़े एकत्रित करने से गंभीर समस्याएं पैदा होती है जैसे या तो ऐसे आंकड़े उपलब्ध न हो पाएं अथवा आंकड़ा प्रदान करने वालों की तरफ से चूक हो सकती है। ऐसे आधार वर्ष के आंकड़े खराब गुणवत्ता वाले हो सकते हैं तथा इस तरह यह सूचकांकों की समूची श्रृंखला की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित कर सकता है । इसलिए, ऐसी स्थिति में जब आधार वर्ष को पहले से विनिर्दिष्ट न किया जा सकता हो, आधार वर्ष का चयन जहां तक संभव हो, एकदम विगत का हो, परन्तु विगत के दो वर्षों अधिक का नहीं ।

7. यह वांछनीय है कि सभी सूचकांकों के लिए आधार वर्ष एक-सा हो । भिन्न-भिन्न आधार वर्ष अपरिहार्य हों तो वे यथासंभव एक-दूसरे के करीब हों । इससे उपयोक्तओं द्वारा विभिन्न सूचकांकों की प्रवृत्तियों की बेहतर तुलना करने में आसानी रहेगी । आधार वर्ष के चयन के लिए बैंचमार्क निश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा समय-समय पर कराए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि (जुलाई-जून) उपयोगी साबित हो सकता है । सर्वेक्षण अनुसूची एनएसएसओ द्वारा समय-समय पर पहले से घोषित होती है । संशोधन के लिए आधार वर्ष का चयन, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि के साथ मेल खाने वाला हो ।

8. नियत आधार सूचकांकों की स्थिति में, आधार वर्ष कम से कम पांच वर्षों में एक बार संशोधित कर दिया जाए।

**आंकड़ा संग्रहण के लिए स्रोत एजेंसी का चयन**

9. यदि कोई सरकारी एजेंसी आंकड़ों का संग्रहण प्रशासन के उप-उत्पाद (प्रशासनिक आंकड़े) के रूप में कर रही है और ऐसे आंकड़े किसी सूचकांक के संकलन के लिए उपयोगी हैं तो नियमित आंकड़ा प्रवाह बनाए रखने के लिए ऐसी एजेंसी के साथ संस्थागत प्रबंध किया जाना वांछनीय है क्योंकि यह किफायती होगा।

10. यदि सूचकांकों के संकलन के लिए प्रशासनिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो आंकड़ों के संग्रहण के लिए किसी ऐसी सरकारी एजेंसी की सेवाएं लेना वांछनीय है जो कार्यात्मक रूप से तटस्थ हो और संबंधित उपयोक्ता एजेंसियों की करीबी न हो ताकि हितों के संभावित टकराव की स्थिति पैदा न होने पाए।

11. जहां एक या अधिक सूचकांकों के संदर्भ में आंकड़ा संग्रहण के लिए साझी मदें/ सांझे केंद्र हैं, वहां सभी ऐसे सूचकांकों के लिए आंकड़ा संग्रहण हेतु किसी एकल तटस्थ सरकारी एजेंसी को लगाना वांछनीय है क्योंकि यह किफायती होगा। इस व्यापक सिद्धांत का केंद्र तथा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों में पालन किया जाए।

**अधिमान आरेख, मद बास्केट तथा सूचकांकों के लिए रीति**

12. अधिमान आरेख की गणना के लिए तथा किसी भी सूचकांक के संकलन के लिए रीतिगत साधनों के निर्धारण के लिए डेटाबेस का चयन, इस निमित्त गठित किसी विशेषज्ञ समूह के परामर्श से किया जाए। यह रीति संगत राष्ट्रीय पद्धतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सुसंगत हो। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर आधारित रीति को केंद्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाए। राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों के मामले में, इस प्रयोजन के लिए संबंधित अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) से परामर्श किया जाए। इस व्यवस्था से रीति का मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

13. किसी सूचकांक के लिए अधिमान आरेख को ऐसे समुचित भौगोलिक स्तर तथा मद-समूह स्तर पर तैयार किया जाए जहां सूचकांक को प्रतिनिधित्व तथा समजातीय के रूप में समझा जा सके तथा ऐसे स्तर के लिए पृथक सूचकांक संकलित किया जा सके और समग्र सूचकांक प्राप्त करने के लिए समुचित अधिमानों के साथ संयोजित किया जा सके। यह वांछनीय है कि सूचकांक यथासंभव असंबद्ध स्तर पर उपलब्ध हों, उदाहरण के लिए (i) कृषि आर्थिक क्षेत्र के लिए/जिला स्तर तथा/अथवा प्रमुख शहरों के लिए, और (ii) व्यावसायिक वर्गों के लिए।

14. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आधार वर्ष के लिए मद बास्केट तैयार करने के लिए डेटाबेस ऐसे विवरण पर उपलब्ध न हो जो नियमित डेटा संग्रहण के लिए जमीनी स्तर पर प्रत्येक मद की अनूठी पहचान को सुसाध्य बनाता है। ऐसे मामलों में प्रथमत: आधार वर्ष के लिए मद विनिर्देश, जो मदों को प्रकाश में लाते हैं, का प्रासंगिक ब्योरा संग्रहित किया जाए। इसके उपरांत मद विनिर्देश के संबंध में नियमित आंकड़े सूचकांकों के संकलनार्थ समय-समय पर संग्रहित किये जाए।

**आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा प्रवाह**

15. आंकड़ा संग्रहण के समय, प्रत्येक सूचनादाता को निम्न के बारे में उचित रूप से सूचित किया जाए –

क) वह प्रयोजन जिसके लिए आंकड़े उससे संग्रहित किये जा रहे हैं तथा वह पद्धति जिसमें संग्रहित आंकड़ों को प्रसारित किया जाएगा;

ख) क्या सूचनादाता द्वारा सूचना/आंकड़े देना स्वैच्छिक है अथवा कोई सांविधिक मांग है, तथा सांविधिक मांग के मामले में, सूचना न देने या मिथ्या सूचना देने के परिणाम;

ग) उसके द्वारा दी गई सूचना को प्राप्त करने का तरीका तथा उन व्यक्तियों और स्रोतों का विवरण जिनसे यह प्राप्त किया जा सकता है ।

16. जहां सूचकांकों का संकलन करने के लिए प्रशासनिक सांख्यिकी उपलब्ध नहीं होती है, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत जीपीएस साधन की सुविधा का उपयोग करके आंकड़ों का संग्रहण करना वांछनीय है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संग्रहित आंकड़े वास्तविक हैं तथा संबंधित सूचनादाताओं द्वारा ही दिए गए हैं । इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन गुणवत्तापरक आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ों का पर्यवेक्षण, विधायन तथा गोपनीयता सुनिश्चित करेगा ।

17. सुनिश्चित किया जाए कि सूचकांकों के संकलनार्थ आंकड़ा संग्रहण का कार्य, आंकड़ा संग्रहण की समग्र अवधि में, एक समान रूप से किया जाए ।

18. सूचकांकों के संकलनार्थ उपयोग किए गए आंकड़े आमतौर पर नीति-निरूपण में संवेदी समझे जाते हैं । इसलिए, प्रासंगिक आंकड़ा संग्रहण को गैर-व्यावसायिक अथवा अंशकालिक कार्य के रूप में न माना जाए । यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समय-समय पर एकत्र किए गए आंकड़े केवल पूर्व निश्चित मद विनिर्देश से संबंधित हैं । इसलिए जहां तक व्यवहार्य हो, नियमित आंकड़ा संग्रहण तंत्र संस्थापित किए जाएं ।

19. सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़ों की प्रस्तुति की तिथि का निर्धारण करते समय इस बात पर विधिवत विचार किया जाए कि वे आंकड़े सूचनाकर्ता के पास किस अवधि में उपलब्ध होंगे । उदाहरण स्वरूप, व्यवसाय के मामले में, संबंधित सरकारी एजेंसियों को आंकड़े प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन को कभी-कभी अपनी आन्तरिक इकाइयों से आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता होगी । अत:, सरकारी एजेंसियों को आंकड़ा सुलभ कराने के लिए समय निर्धारित करते वक्त आंतरिक इकाइयों से आंकड़ों के संग्रहण तथा उसके समेकन में लगने वाले समय पर भी विचार किया जाए ।

20. न्यूनतम समयान्तर के साथ वास्तविक समय के आंकड़े प्राप्त करने के लिए, सर्वर/क्लाउड अथवा अन्य किसी प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट एक समर्पित वेबपोर्टल के माध्यम से आंकड़ा प्रवाह सुनिश्चित करना उपयुक्त है ।

21. आंकड़ा संग्रहण ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड दोनों पर कड़े पर्यवेक्षण और संवीक्षा के अध्यधीन होगा । किसी सूचनादाता (जैसे कि किसी दुकानदार) द्वारा उपलब्ध करए गए आंकड़ों का यादृच्छिक आधार पर उसके पड़ोसी (इसी कार्य या इसी प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न) से इसकी सत्यता का सत्यापन करने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान किया जाना चाहिए ।

22. प्राप्त आंकड़ों की संवीक्षा और वैधीकरण तथा गैर-रिपोर्टिंग और गुणवत्ता की कमी के कारण समीक्षा की अपेक्षा के मामलों में अनुवर्तन कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अलर्ट उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त वैधीकरण जांच का प्रावधान कम्प्यूटरीकृत तंत्र में शामिल किया जाए ।

23. गैर-रिपोर्टिंग वाले मामलों और आंकड़ों में पाई गई असंगतियों का शीघ्रता से समाधान करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसी और इसकी फील्ड एजेंसियों में स्पष्ट और कारगर सम्प्रेषण चैनलों को संस्थापित किया जाए । यदि आवश्यक हो तो फील्ड से आने वाले प्रश्नों के समाधान के लिए हैल्पडेस्क की भी संस्थापना की जा सकती है ।

24. गैर-रिपोर्टिंग व विशिष्ट सूचनादाताओं से आंकड़ों की अनुपलब्धता तथा ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन के लिए कार्यप्रणाली पूर्व-निर्दिष्ट की जाए । गैर-रिपोर्टिंग वाले मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया सभी सरकारी एजेंसियों को भेजी जाए, जिससे कि सूचकांकों के संकलन के लिए आंकड़ा उपलब्ध कराने से पूर्व वे उस कार्यप्रणाली का अनुसरण कर सकें ।

25. कुछ स्थितियां हो सकती हैं, जहां एक अथवा समान प्रयोजनों के लिए आंकड़े केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनके स्वयं के सूचकांकों के संकलानार्थ विभिन्न् सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्र किए जा रहे हों। ऐसे मामलों में, पुनरावृत्ति से बचने हेतु गोपनीयता पर समझौता किए बिना आंकड़ों को साझा करने की व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था से एजेंसियों की लागतों तथा सूचनादाताओं पर पड़ने वाले भार में कमी आएगी।

## सूचकांक और आंकड़ों का प्रचार

26. सूचकांकों (अनन्तिम और अन्तिम) को जारी करने की प्रचार योजना पूर्व-घोषित की जाए। सूचकांकों का संकलन करने वाली प्रत्येक सरकारी एजेंसी सूचकांक जारी करने वाला अग्रिम कैलेण्डर प्रकाशित करे जिसमें इसे जारी करने का दिन और अवधि का उल्लेख हो। वह अंतिम स्तर (भौगोलिक, मद अथवा मद समूह या मद उपसमूह) जिसमें कि सूचकांक जारी किए जांएगें, साथ ही प्रारंभिक स्तर पर जारी होने वाले अनंतिम सूचकांक तथा अंतिम सूचकांकों को जारी करने के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख, भी अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में किया जाना चाहिए।

27. कैलेण्डर में सन्दर्भित रिलीज में किन्हीं विचलनों के मामले में संबंधित एजेंसी ऐसे विचलन के कारण प्रकाशित करे।

28. जहां तक व्यवहार्य हो, दी गई अवधि के लिए सूचकांक दशमलव के बाद एकल अंक (पूर्णांक के अध्यधीन) तक जारी किए जाएं तथा इस मानक का पूरी श्रृंखलाओं में पालन किया जाए।

29. जब कोई सूचकांक जारी किया जाता है तो अधिमानित उत्तर दर भी प्रसारित की जाए।

30. उपयोगकर्ताओं द्वारा रूझानों के बेहतर मूल्यांकन को सुग्राही बनाने के लिए वास्तविक सूचकांक के साथ मौसमी समायोजित सूचकांक को जारी करना अनिवार्य है। मौसमी समायोजन के लिए उपयुक्त कार्यविधियां जैसे कि X12 एआरआईएमए पद्धति प्रयुक्त की जाए।

31. इकाई स्तरीय आंकड़ों सहित सूचकांकों की सभी विज्ञप्तियों में मेटाडेटा के संदर्भ मुहैया कराए जाएँ।

32. प्रत्येक विज्ञप्ति में निम्नलिखित घटकों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाए :

- उत्तरों के प्रतिशत के रूप में या प्रत्यक्ष आंकड़ों पर आधारित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में नए आंकड़ों के वास्तविक उपयोग की सीमा/प्रभाव
- पूर्व में जारी आंकड़ों में किए गए संशोधन तथा संशोधनों के कारण
- प्रतिशत परिवर्तन के मामले में संशोधनों का प्रभाव
- जारी करने की आगामी तारीख

33. हर बार अंतिम सूचकांक जारी करने के तुरंत उपरांत, प्रासंगिक इकाई स्तरीय आंकड़े (प्रत्येक उत्तरदाता के मद विनिर्देश स्तर पर) उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाये रखते हुए तथा आवश्यक सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियन्त्रण को लागू करते हुए पब्लिक डोमेन पर डाले जाएं। यदि इकाई स्तरीय आंकड़ा संवेदी समझा जाता है और अन्तिम सूचकांक जारी करने के उपरान्त भी किसी निश्चित अवधि तक इसकी रिलीज को रोककर रखना आवश्यक समझा जाता है, तो वह समयावधि अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट की जाए जिसके बाद ऐसे इकाई स्तरीय आंकड़ों को जारी करना निर्धारित है।

34. सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़ों में उनकी पहचान को रोकने के प्रयोजन के लिए आंकड़ा अनामिकता नीति क्रियान्वित की जाए। इसे सूचनादाताओं की पहचान छिपाने अथवा छद्म पहचान ब्यौरे का सृजन करने के उपयुक्त एलगोरिथमों का विकास करके हासिल किया जा सकता है, ताकि किन्ही

आंकड़ों के शमन/विलोपन के बाद भी, उन्मूलन की प्रक्रिया से भी, किसी विशेष सूचनादाता की पहचान न की जा सके।

35. सभी विज्ञप्तियां और इकाई स्तरीय आंकड़े उन व्यक्तियों के सम्पर्क ब्यौरे इंगित करें जिनसे उपयोगकर्ता किसी भी स्पष्टीकरण के लिए सम्पर्क कर सके।

36. इकाई स्तरीय आंकड़ों की ग्राहकों से ली जाने वाली कीमतें, उन कीमतों को निकालने की पद्धति, और उनके उपयोग में निर्धारित स्थितियों, यदि कोई हों, का प्रत्येक विज्ञप्ति में उल्लेख किया जाए अथवा मेटाडेटा में शामिल किया जाए।

## मेटाडेटा

37. मेटाडेटा अथवा "आंकड़ों के बारे में आंकड़े" प्रलेखीकरण का एक विशिष्ट रूप है तथा उस सूचना से संबंधित है जो प्रयोक्ताओं को आंकड़ों के बारे में उनकी समझ में सुधार लाने की दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती है। व्यापक और सम्पूर्ण मेटाडेटा प्रयोक्ताओं को सूचित करने तथा आंकड़ों का पूर्ण उपयोग करने में सहायता करता है तथा दुरूपयोग की संभावना को न्यूनतम करता है।

38. कार्यप्रणाली और प्रयुक्त फार्मूले तथा गोपनीयता व अनामिकता प्रक्रियाओं सहित सूचकांकों का संकलन करने और जारी करने के सम्पूर्ण ब्यौरे मेटाडेटा में शामिल किये जाएं। प्रत्येक आधारभूत संशोधन से प्रभावित होने वाले कार्यप्रणालीगत परिवर्तन, पुरानी श्रृंखला के साथ नई श्रृंखला के सूचकांक को जोड़ने के लिए लिंकिंग फैक्टर सहित, और प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विचलन, यदि कोई हो, मेटाडेटा में शामिल किए जाने चाहिए। इलेक्ट्रानिक रूप से रखे गए आंकड़ों जिन्हें स्थाई रूप से, अथवा महत्वपूर्ण अवधि के लिए, से सम्बद्ध मेटाडेटा परिरक्षित किया जाना होता है, में संसाधन के प्रबंध तथा प्रक्रिया में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बारे में सूचना को शामिल किया जाए। यह सुनिश्चित करना है कि आंकड़ों को समझना, सुलभ कराना तथा समय पर उपयोग करना सतत रखा जा सकता है।

39. वे प्राधिकारी जो सूचकांकों को जारी करने का अनुमोदन करने में सक्षम हैं, तथा उन व्यक्तियों/प्राधिकारियों का ब्योरा जिन्हें सूचकांकों की रिलीज-पूर्व सुलभता है, का मेटाडेटा में उल्लेख किया जाए।

40. इकाई स्तरीय आंकड़ों सहित मेटाडेटा न्यायोचित आधार पर सरकारी वेबसाइट, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलों तथा अन्य प्रसारण चैनलों के माध्यम से व्यापक संभव श्रोताओं को उपलब्ध कराया जाए। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं तथा सरकारी कार्यालयों जैसी निर्दिष्ट संस्थाओं के माध्यम से प्रयोक्ताओं और बड़े स्तर पर जनता को सूचकांको, इकाई स्तरीय आंकड़ों तथा मेटाडेटा की सॉफ्ट प्रतियां नि:शुल्क में उपलब्ध कराना वांछनीय है।

## प्रयोक्ता विचार-विमर्श और प्रयोक्ता सर्वेक्षण

41. प्रयोक्ताओं, ग्राहकों और सूचनादाताओं से शिकायतें और पूछताछ संबंधी प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र विकसित किया जाए तथा इसे सार्वजनिक किया जाए। शिकायतों और पूछताछ संबंधी प्रश्नों पर की गई कार्रवाई को भी समय-समय पर रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है।

42. प्रणालीगत पहलुओं और सूचकांकों की उपयोगिता पर प्रयोक्ताओं और मीडिया में संचेतना पैदा करने के लिए सम्मेलन /कार्याशालाएं आयोजित की जाएं।

43. उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षणों को समय-समय पर आयोजित किया जा सकता है ताकि उपयोग के प्रकार को समझा जा सके और सूचकांकों के सुधार के लिए सारगर्भित सुझाव दे सकें। इन सर्वेक्षणों के परिणामों और उन पर की गई कार्रवाई को समय समय पर सार्वजानिक किया जाना चाहिए ।

## आंकड़ा भण्डारण/आर्काइविंग

44. सूचकांकों का संकलन करने और जारी करने में शामिल प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा सूचकांकों, इकाई स्तरीय आंकड़ों, मेटाडेटा के भण्डारण के लिए उठाए गए कदमों और उस तरीके, जिसके तहत आंकड़ों की गोपनीयता रखी जाएगी, का विवरण दिया जाना चाहिए ।

45. आंकड़ों के रखरखाव को सुसाध्य बनाने के लिए केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी सरकारी एजेंसियां सीएसओ के आंकड़ा भण्डारण और प्रसारण प्रभाग को समय-समय पर अंतिम सूचकांकों, मेटाडेटा और इकाई स्तरीय आंकड़ों की आवधिक विज्ञप्तियों की सॉफ्ट प्रतियां भेज सकती हैं । सीएसओ इस कार्य की नियमित रूप से निगरानी करे तथा वृहत मदवार आंकड़े (क्षेत्रों और माध्यिका के संबंध में) आवधिक रूप से (कम से कम वर्ष में एक बार) प्रकाशित करे ।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2018

**No. M-12014/10/2018-CAPCSO.—**Official agencies at the Centre and in the States and Union territories have been compiling and disseminating various short-term indicators in the form of indices with pre-specified periodicity. Most of these socio-economic indices are used for reviewing performance of the economy and the society, for policy making. They are also of great utility for decision makers in the private sector.

2. This Ministry, being the nodal Ministry on statistical matters, has been considering, for quite some time, the issues of quality, timeliness and credibility of various socio-economicindices, being produced and disseminated by various official agencies. In order to streamline and further strengthen the system to provide better service to the policy makers, researchers, businesses and the public at large, it has now been decided, on the basis of recommendations of the National Statistical Commission, to provide broad guidelines as given in the Schedule appended to this Notification, for use by the Official agencies.

## SCHEDULE

### General Guidelines on Socio-Economic Indices

**Introduction**

1.Short-term indicators, usually released as indices that measure short-term movements in key areas of the economy and the society, comprise a range of statistical series that are generally compiled and disseminated periodically (on a daily, weekly, monthly or quarterly basis).They facilitate the analysis of recent performance of the relevant sector and provide a basis for the preparation of forecasts of future performance.

2.In India, it is desirable to have indices at State/ UT / District level and for important urban centres. Indices are expected to provide comparison not only over time but also across different geographical locations/ important occupational classes at a given point of time. Thus, it is important to have spatial indices also.

3.Policy makers need early detection of turning points of trends invarious fields. Data collection practises need to be adapted to facilitate the dissemination of short term indicators.Hence, the main goal is to get results of sufficient quality as quickly as possible. To achieve this goal, there is also a need for establishing some good practices on short-term indicators to meet the legitimate expectations of the users and the public at large. The guidelines given in the following paragraphs are intended for this purpose.

**Choice of base year**

4. Base year for any indices maybe chosen to take into account structural changes in the field that the indices represent. Along with any change in base year, methodological changes, such as weighting diagram, basket of items covered in the indices etc., take place.It is desirable that base year for any indices should be a normal year.

5. There are advantages in pre-specifying base year, as the concerned Department could plan preparatory activities in a systematic way and obtain government sanctions for resources to launch any survey for the purpose and relevant data could be collected for the chosen base year, which would help in making a choice of item basket for the indices and collecting data without much recall lapse. Hence, the base year for revision maybe decided and pre-announced well in advance (say, at least 2 years before the chosen base year). In case, the base year so specified well in advance subsequently turns out to be a non-normal year, it would be easy to take a subsequent year as the base year.

6. Delay in deciding the base year for compilation/ revision of indices poses problems in data collection for the base year. Collecting data for a base year two-three years thereafter poses severe problems,as such data may either be not available or may suffer from recall lapse of data providers. Such base year data may be of bad quality and, thus, it may adversely affect the quality of the entire series of indices. Hence, in a situation where base year could not be specified in advance, choice of base year maybe in the immediate past, as far as feasible,but not beyond two years in the past.

7. It is desirable that base year for all indices is the same, and if different base years are unavoidable theyare as close to each other as possible.This will facilitate better comparison of trends of different indices by users. In order to fix a benchmark for making a choice of base year, the reference period (July-June) of consumer expenditure survey periodically conducted by the National Sample Survey Office (NSSO) may provide a useful solution. The survey schedule is pre-announced from time to time by the NSSO. Base year chosen for revision may be aligned with the reference period of the consumer expenditure survey.

8. In case of fixed-base indices, the base year may be revised at least once in five years.

**Choice of source agency for data collection**

9. If any official agency is collecting data as a by-product of administration (administrative statistics), and such data is useful for compiling an index , it would be desirable to have an institutional arrangement with such agency for establishing regular data flow, as it will be cost-efficient.

10. In case administrative statistics are not available for compiling indices, it is desirable to employ an official agency for collection of data, which is functionally neutral and at arm's length from the concerned user agencies, to avoid any potential conflict of interest.

11. Where there are common items/ centres for data collection in respect of one or more indices, it is desirable to engage a single neutral official agency to collect data for all such indices, as it will be cost-efficient. This broad principle may be followed at the Centre and in the States/ UTs.

**Weighting diagram, item basket and methodology for the indices**

12. Choice of database for computing weighting diagramsand formulation of methodological instruments for compilation of any indexmay be done in consultation with an Expert Group, to be constituted for the purpose. The methodology maybe consistent with relevant national practices and international standards.Based on the report of the Expert Group, the methodology may be finalised in consultation with the Central Statistics Office (CSO) by the official agencies at the Centre. In case of official agencies in the States/ UTs, the concerned Directorate of Economics and Statistics (DES) may be consulted for the purpose. This arrangement will ensure standardization of methodology.

13. Weighting diagrams for an index maybe evolved at the appropriate geographical level and item group level, where the indexcould be considered as representative and homogenous, and separate indexcould be compiled for such level and combined with appropriate weights to get the overall index. It is desirable that

indices are made available at as disaggregated levels as possible, e.g. for (i) Agro-economic Region/ District level and/ or for major cities, and (ii) for occupational classes.

14. At times, database for preparing item basket for a base year may not be available atsuch detail that facilitates unique identification of each item in the field for regular data collection. In such cases, relevant details of item specifications which represent the items may be collected for the base yearfirst, and thereafter regular data in respect of the item specifications maybe collected periodically for compilation of indices.

**Data collection and flow of data**

15. At the time of data collection, everyinformant maybe appropriately informed-

(a) the purpose for which data is being is collected from him/ herand the manner in which the data collected would be disseminated;

(b) whether furnishing data by the informant is voluntary or a statutory requirement, and in case of statutory requirement, the consequences of not furnishing data orof furnishing false data;

(c) of the manner, the sources to be tapped and the persons to be contacted for the purpose of accessing data collected from him/ her.

16. Where administrative statistics are not available for compiling indices, it is desirable to collect databy using the facility of GPS tools under the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008, so as to ensure that data collected is genuine and is owned by the concerned informants. Compliance withthe provisions of the Act will ensure quality data collection, supervision, processing and confidentiality of the data.

17. It may be ensured that the work of data collection for compilation of indices is evenlyspread throughout the period of data collection.

18. Data used for compilation of indices is usually considered sensitive in policy formulation. Hence, relevant data collection maynot be treated as a non-professional or a part-time job. It is necessary to ensure that data, that is collected periodically, relates to the pre-determined item specifications only. Hence, regular data collection machinery may be established, as far as feasible.

19. The period by which data for a particular round of data collection would be available with informants maybe duly considered while prescribing the date of submission of data by them. For example, in case of businesses, the concerned managements will require some time to collect data from its internal units before consolidating it and submitting it to official agencies. Hence, the time required for collecting data from internal units and its consolidation maybe considered for prescribing the time by which data mayreach official agencies.

20. In order to get real time data with minimum time lag, it is advisable to ensure data flow from the field through a dedicated web portal designed for the purpose using server/ cloud or any other platform.

21. Data collection maybe subject to strict supervision and scrutiny, both on-field and off-the-field. A provision may be made in the system to verify, on a random basis, the data furnished by any informant (say, a shop keeper) from his neighbour (engaged in the same or similar activity) for its veracity.

22. Appropriate validation checks may be incorporated in the computerized system for scrutiny and validation of data received and for providing necessary alerts for taking follow-up on non-reporting cases and cases requiring review due to lack of quality.

23. Clear and effective communication channels between the concerned official agency and its field agencies maybe established, to tackle expeditiously non-reporting cases and inconsistencies found in the data. If necessary, a helpdesk can also be established for resolving queries from the field.

24. Methodology for addressingnon-response, non-availability of data from specified informants, and for substitutions may be pre-specified. Procedure for treatment of non-reporting cases maybe prescribed to all official agencies furnishing data for applying the procedure before furnishing data for compilation of indices.

25. There could be situations where data for the same or similar purpose is getting collecting by different official agencies at the Centre and in the States/ UTs for compilation of their own indices. In such cases, arrangements for sharing of data without compromising on confidentiality may be worked out for sharing of data and avoiding duplication. Such arrangements will reduce costs for the agencies and burden on informants.

**Dissemination of index and data**

26. Dissemination plan for release of indices (provisional as well as final) maybe pre-announced.Every official agency compiling indices maypublish an advance calendar of releasing the indices in which day and time of periodic release bementioned. The details of ultimate level (geographical, item or item group or item subgroup) at which indices would be released, along with any provision made for releasing index as a provisional index at the initial stage and as a final index subsequently, may also be mentioned in the advance release calendar.

27. In case of any deviations in release with reference to the calendar, the concerned agency maypublish reasons for such deviation.

28. Index for a given period, as far as feasible, may be released with single digit decimal (subject to rounding) and this standard may be maintained throughout the series.

29. When an index is released, weighted response rate mayalso be disseminated.

30. It is essential to release seasonally adjusted index along with actual index to facilitate better assessment of trends by users. Appropriate procedures for seasonal adjustment, such as the X12 ARIMA method may be employed.

31. All releases of indices including unit level data mayprovide references to metadata.

32. The following aspects maybe clearly brought out in each release.

- Extent of new data actually used, either as percentage of responses or as a percentage of estimates based on direct data
- Revisions made in the figures already released and reasons for the revisions
- Impact of revisions in terms of percentage change
- Date of next release

33. Immediately, after releasing the final index every time, the relevant unit-level data (at item specification level of each informant) may be placed in the public domain,after appropriate anonymization and applying necessary statistical disclosure controls. In case the unit-level data is considered sensitive and withholdingits release up to a certain period even after releasing the final index is considered necessary, the time periodafter which release of such unit-level data is scheduled may be specified in the advance release calendar.

34. Anonymization of data may be carried out for the purpose of preventing identification of informants from the data furnished by them. This can be achieved by developing algorithms for suppressing or deleting identification details of informants or by creating pseudo identification details in a manner that even after such suppression/ deletion, no data could be identified as pertaining to a particular informant even by the process of elimination.

35. All releases and unit level data mayindicate contact details of persons whom the users can approach for any clarifications.

36. The prices to be collected from customers purchasing unit level data, the manner in which prices are arrived at and the conditions, if any, prescribed in their use maybe spelt out in every release or may be included in the metadata.

**Metadata**

37. Metadata or 'data about data' is a specific form of documentation and refers to the information that is made available to users in order to improve their understanding of the data. Comprehensive and complete metadata helps users to make informed and full use of data and minimizes the likelihood of misuse.

38. Complete details on the entire gamut of compiling and releasing indices, including methodology and formulae used and confidentiality and anonymization procedures,may be included in the metadata. Methodological changes that are affected with every base revision, including linking factor for combining new series of index with the old one and deviations, if any, from the relevant international standards are to be included in the metadata. Metadata attached to electronically held data which is to be preserved permanently, or for a significant length of time, mayinclude information about the software used to arrange and process the resource. This is to ensure that the data can continue to be understood, accessed and used over time.

39. The authority competent to approve release of indices, and the details of persons/ authorities for whom pre-release access is given,may be spelt out in the metadata.

40. Metadata,including unit-level data,maybe made available to the widest possible audience through official website, appropriate electronic portals and other dissemination channels on an equitable basis. It is desirable to provide indices, unit level data and metadata in soft copies free of cost to users and the public at large, through designated institutions, such as Universities, Research Institutions and Government Offices, to promote research.

**User interactions & User Surveys**

41. An administrative mechanism for receiving complaints and queries from users, customers and informants may be evolved and made public. The action taken on the complaints and queries also needs to be made public through periodic reports.

42. Conferences/ Workshops may be organised to sensitize users and media on the methodological aspects and utility of the indices.

43. User surveys may be organised periodically to understand the type of use that the indices are put to and elicitsuggestions for improvement. Findings of the surveys and action taken thereof may be placed in the public domain from time to time.

**Data Warehousing/ archiving**

44. Each official agency involved in compiling and releasing indices may spell out the measures taken to store indices, unit-level data, metadata and the manner in which confidentiality of data would be maintained.

45. All the official agencies at the Centre and in the States/ UTs may furnish soft copies of periodic releases of final indices, metadata and unit-level data from time to time to the Data Storage and Dissemination DivisionofCSO for facilitating maintenance of an inventory. The CSO maymonitor this activity regularly and bring out broad item-wise data (in terms of ranges and median) periodically (say, at least annually).

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.08 17:37:48 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.